Email

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण//e-**1232112**/शामगढ/566 भोपाल, दिनांक 25/05/2026

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय....... (समस्त)

2. भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति........ (समस्त)
जिला..... समस्त)

विषय:- प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के प्रांगण/उपमंडियों के शेडों में व्यापारियो द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के संबंध मे।

संदर्भ:- मंडी बोर्ड के परिपत्र क्रमांक/नियमन/उप/**3746** दिनांक **26.12.2007** तथा **648** दिनांक **24/11/2018**

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के माध्यम से मंडी बोर्ड द्वारा समय-समय पर मंडी समितियों को निर्देशित किया जाता रहा है कि व्यापारियों द्वारा क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज को ऑक्शन प्लेटफॉर्म से अगले दिवस नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

यदि किसी व्यापारी द्वारा कृषि उपज क्रय करने के पश्चात अगले दिवस नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व अपना माल ऑक्शन प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया जाता है, तो उससे ₹10 प्रति बोरा प्रतिदिन की दर से किराया वसूल किया जाए। साथ ही, संबंधित व्यापारी को माल हटाए जाने तक नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाए तथा उसके अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण/प्रदान पर भी रोक लगाई जाए।

उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत भी यदि व्यापारी द्वारा एक सप्ताह के भीतर ऑक्शन प्लेटफॉर्म खाली नहीं किया जाता है, तो मंडी प्रशासन द्वारा संबंधित कृषि उपज को जप्त करने अथवा मंडी प्रांगण से हटाने की कार्यवाही की जाए। उक्त कार्यवाही पर होने वाले समस्त व्यय की वसूली संबंधित व्यापारी से की जाएगी।

तथापि, यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कृषि उपज मंडी समितियों में व्यापारियों द्वारा मंडी के शेडों में अपना सामान, बोरे आदि स्थायी रूप से रखकर अतिक्रमण की स्थिति निर्मित कर दी गई है। साथ ही, कुछ स्थानों पर व्यापारियों द्वारा स्वयं के स्तर पर पार्टिशन आदि कर शेडों के स्थान का स्थायी उपयोग किया जा रहा है।

यह सुनिश्चित किया जाए कि मंडी प्रांगण के कवर्ड एवं ओपन ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का माल अनावश्यक रूप से संग्रहीत न रहे। निर्देशों के उल्लंघन अथवा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में मंडी सचिव की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा कृषकों को होने वाली क्षति की राशि संबंधित के वेतन से वसूल की जाएगी।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Anurag Saxena
Date: 23-05-2026
16:27:20

अनुराग सक्सेना **(I.A.S)**
अपर प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण//**e-1232112**/शामगढ/567 भोपाल, दिनांक 23 /05/2026

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. उपसंचालक/सहायक संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
5. संयुक्त संचालक(नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति...........जिला.......(समस्त)

सहायक संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Digitally signed by
Piyush Sharma
Date: 23-05-2026
16:48:57